कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

प्रेस–विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 06.05.2020 को समाप्त हो रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियक के प्राविधानों के अंतर्गत निर्वाचन की संविद प्रकिया को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक अवकाशों के अधीन लगभग 04 सप्ताह का समय आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के प्रसार को रोकने हेतु जारी निर्देशों तथा दिनांक 25.03.2020 से लागू 03 सप्ताह के लॉक–डाउन, लोक सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य पर जोखिम से बचने के लिए लगाये गये प्रतिबंधों के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त निर्वाचन की प्रकिया को निर्धारित समय में पूरा करना सम्भव नहीं है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–16 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश दिये गये है कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया परिस्थितियों की समीक्षा के बाद, पश्चातवर्ती तिथि पर प्रारम्भ की जायेगी।

लखनऊः
दिनांकः 04.04.2020

A.K. Shukla.
(अजय कुमार शुक्ला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः 304 (1)/सीईओ–2–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अध्यक्ष/मंत्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (कानपुर नगर, कानपुर देहात तथा उन्नाव को छोड़कर।)
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
7. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

04/04/2020
(अवनीश सक्सेना)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।